न्यायालय उपायुक्त, पाकुड़

म्युटेशन रिविजन वाद सं0–07/2021–22

कल्याण किंकर मिश्रा
बनाम
समीर कुमार ओझा एवं अन्य

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

आदेश

यह रिविजनवाद, रिविजनकर्त्ता कल्याण किंकर मिश्रा, पिता–स्व0 उमा किंकर मिश्रा, सा0–राजापाड़ा, पाकुड़, थाना–पाकुड़ (नगर), जिला–पाकुड़ के द्वारा विज्ञ भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, पाकुड़ के न्यायालय के दाखिल–खारिज अपील वाद सं0–10/2018–19 में दिनांक–17.02.2021 को पारित आदेश के विरूद्ध (1) समीर कुमार ओझा, पिता–स्व0 शिशिर कुमार ओझा, सा0–राजापाड़ा, थाना–पाकुड़ (नगर), जिला–पाकुड़ (2) श्रीमती माया दूबे, पति–मनोज कुमार दूबे, अनुमंडल पदाधिारी आवास के निकट, सकुरगंज, थाना–साहेबगंज, जिला–साहेबगंज राज्य–झारखण्ड (3) झारखण्ड राज्य को पक्षकार बनाते हुए दाखिल किया गया है।

मामला संक्षेप में यह है कि मौजा–पाकुड़ नं0–128 के खाता सं0–586 के दाग सं0–807 अन्तर्गत रकवा 00–01–05 धुर जमीन का दाखिल–खारिज करने हेतु श्रीमती माया दूबे (विपक्षी सं0–02) के द्वारा अंचल कार्यालय, पाकुड़ में आवेदन दिया गया, जिसके आधार पर दाखिल खारिज वाद सं0–1631/2015–16 प्रारम्भ करते हुए दिनांक–29.12.2015 को पारित आदेश द्वारा आवेदिका माया दूबे के पक्ष में नामान्तरण स्वीकृत किया गया। अंचल अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध समीर कुमार ओझा (इस वाद के विपक्षी सं0–01) के द्वारा विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पाकुड़ (निम्न न्यायालय) के समक्ष अपील वाद सं0–10/2018–19 दायर किया गया। उक्त अपील वाद में दिनांक–17.12.2021 को पारित आदेश द्वारा अंचल अधिकारी, पाकुड़ के दाखिल–खारिज वाद सं0–1631/15–16 में पारित आदेश दिनांक–29.12.2015 को निरस्त (Set-aside) किया गया। यह रिविजन वाद इसी आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को विस्तार से सुना गया। रिविजनकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नगत दाग सं0–807 अन्तर्गत कुल रकवा 01–04–04 धुर जमीन विगत सर्वे खतियान में सावित्री बाला देवी के नाम से दर्ज है। उक्त भूमि शिशिर कुमार ओझा, मृत्युजय ओझा एवं विमल कुमार ओझा सभी के

Scanned with CamScanner

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2

पिता–कालीपदो ओझा के द्वारा निबंधित विक्रय केवाला सं0–1485, दिनांक–23.12.1955 के माध्यम से क्रय किया गया। बाद में तीनों भाईयों के बीच आपसी बंटवारा हुआ एवं 807 दाग नं0 में से 00–13–12 धुर जमीन मृत्युंजय ओझा को एवं 00–10–12 धुर जमीन शिशिर कुमार ओझा को अन्य भूमि के साथ बंटवारे में प्राप्त हुई। बंटवारे के बाद दाखिल खारिज भी कराया गया एवं पंजी–।। में प्रविष्टि दर्ज की गई। मृत्युंजय ओझा की मृत्यु के बाद उनके पुत्र संजीव कुमार ओझा के द्वारा कल्याण किंकर मिश्रा (रिविजनकर्त्ता) को पॉवर ऑफ एटॉर्नी दिया गया। उक्त पॉवर ऑफ एटार्नी के माध्यम से 00–01–05 धुर जमीन माया दूबे (विपक्षी सं0–02) को निबंधित विक्रय केवाला द्वारा दिनांक–24.07.2015 को बिक्री की गई। इसी भूमि का दाखिल खारिज अंचल अधिकारी द्वारा दाखिल खारिज वाद सं0–1631/15–16 में पारित आदेश के द्वारा माया दूबे (विपक्षी सं0–02) के पक्ष में किया गया। उत्तरवादी सं0–02 का प्रश्नगत भूमि पर कोई हक एवं अधिकार नही है।

उनका आगे कहना है कि निम्न न्यायालय में रिविजनकर्त्ता को सुनवाई एवं अपना पक्ष रखने का अवसर नही किया गया एवं एकतरफा सुनवाई कर हड़बड़ी में आदेश पारित किया गया। निम्न न्यायालय द्वारा गलत तरीके से आदेश पारित किया गया। यह देखा नही गया कि प्रश्नगत भूमि पर माया दूबे का शांतिपूर्ण दखल–कब्जा है तथा उनके द्वारा विधिपूर्वक तरीके से निबंधित केवाला द्वारा प्रश्नगत भूमि का क्रय किया गया था। निम्न न्यायालय द्वारा माया दूबे को नोटिस निर्गत नही किया गया। उनके द्वारा रिविजन आवेदन को स्वीकृत कर निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त (Set-aside) करने का अनुरोध किया गया।

विपक्षी सं0–01 के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नगत दाग सं0–807 अन्तर्गत कुल रकवा 01–04–04 धुर भूमि शिशिर कुमार ओझा, मृत्युंजय ओझा एवं विमल ओझा द्वारा वर्ष 1955 में क्रय की गई थी। वर्ष 1975 में उक्त भूमि का बंटवारा अन्य भूमि के साथ भाईयों के बीच की गई। बंटवारे में 807 दाग अन्तर्गत रकवा 00–13–12 धुर जमीन मृत्युंजय ओझा को तथा 00–10–12 धुर जमीन शिशिर कुमार ओझा को प्राप्त हुई। शिशिर कुमार ओझा द्वारा उक्त भूमि का दाखिल खारिज करा लिया गया, जिसका होल्डिंग सं0–2201 है। माया दूबे (विपक्षी सं0–02) को बेची गई भूमि 00–01–05 धुर का नामान्तरण गलत तरीके से करते हुए शिशिर कुमार ओझा के होल्डिंग से उक्त रकवा घटा दिया गया। जबकि उक्त रकवा संजीव कुमार ओझा के होल्डिंग से घटाना चाहिए था। उनके द्वारा निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखते हुए

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

रिविजन आवेदन को अस्वीकृत करने का अनुरोध किया गया।

संपूर्ण अभिलेख का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। प्रथम द्रष्टया यह प्रतीत होता है कि माया दूबे (विपक्षी सं0–02) को बेची गई 00–01–05 धुर भूमि का दाखिल खारिज करने में गलती की गई है एवं बेचने वाले के होल्डिंग से उक्त रकवा घटाने के स्थान पर शिशिर कुमार ओझा (विपक्षी सं0–01) के होल्डिंग सं0–2201 से घटा दिया गया है। अंचल अधिकारी, पाकुड़ से इस संदर्भ में शिशिर कुमार ओझा एवं मृत्युंजय ओझा के नाम से दर्ज पंजी–।। की प्रति एवं दाखिल खारिज वाद की प्रति की मांग की गई। संबंधित अंचल निरीक्षक उपस्थित हुए एवं उनके द्वारा बताया गया कि शिशिर कुमार ओझा एवं मृत्युंजय ओझा के बीच प्रश्नगत दाग 807 की कुल रकवा 01–04–04 धुर जमीन का बंटवारा हुआ था एवं शिशिर कुमार ओझा को 00–10–12 धुर तथा मृत्युजय ओझा को 00–13–12 धुर जमीन बंटवारे में मिली थी। शिशिर कुमार ओझा को प्राप्त भूमि 00–10–12 धुर जमीन पंजी–।। में होल्डींग सं0–2201 में दर्ज है जबकि मृत्युंजय ओझा को प्राप्त भूमि 00–13–12 धुर जमीन होल्डींग सं0–1478 में शिशिर कुमार ओझा दिगर के नाम से दर्ज है। माया दूबे को जमीन की बिक्री मृत्युंजय कुमार ओझा के पुत्र संजीव कुमार ओझा के द्वारा आम मोख्तारनामा के जरिए किया गया है। अतः दाखिल खारिज की कार्यवाही में उक्त 00–01–05 धुर भूमि को होल्डींग सं0–1478 से घटाया जाना चाहिए था, परन्तु गलती से होल्डींग सं0–2201 से घटा दिया गया है।

उक्त विवेचना से स्पष्ट है कि बिक्री की गई 00–01–05 धुर भूमि के दाखिल खारिज में लापरवाही बरती गई एवं गलत तरीके से होल्डिंग सं0–2201 से उक्त रकवा घटा दिया गया। अतः उक्त दाखिल–खारिज में पारित आदेश का निरस्त होना उचित है।

अतः रिविजन आवेदन को अस्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा जाता है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को आदेश का अवलोकन करा दें।

लेखापित एवं संशोधित।

उ पो यु क्त,
पाकुड़।

उ पो यु क्त,
पाकुड़।

Digitally signed by VARUN RANJAN
Date: 2023.05.02 17:59:33 +05:30
Location: 2001:0:348b:fb58:248a:21af:3557:aac0

Scanned with CamScanner